



JHARKHAND STATE PARAMEDICAL COUNCIL, RANCHI

Renewal of Registration Renewal Application Form

(Please fill up the form in Capital Block Letter)

To

The Registrar,
Jharkhand State Paramedical Council,
RIMS Campus (PSM Dept.), Ranchi-09

For Office Use Only

Serial No.&Date :/...../.....

Sir,

With due respect, I have passed(Course Name)
from(Institute Name)
in(Exam. Term). I would like to renew the registration in Jharkhand State
Paramedical council, Ranchi. For above, I 'herewith' am enclosing required documents and
Demand draft.

Payment -Details:

SBI Collect Ref. No.-

Amount (Rs.).....

Date:

Name of the Candidate.....

Registration Details:

1. Registration No...../JSPC, Ranchi Dated:
2. Period Starts From:/...../..... To:/...../.....

Renewal of Registration Details: (for Office USE Only)

From

To

Landline No.:Mobile No.:.....

Email-ID:Aadhaar No.....

List of Enclosure:

- 1) SelfAttested Photocopy of Registration
- 2) Attested Photocopy of Certificate issued by
any other competent authority

Faithfully,

Applicant's Signature

निबन्धन हेतु दिशा-निर्देश :

1. नवीनीकरण निबन्धन हेतु निर्धारित शुल्क **ONLINE PAYMENT – SBI COLLECT** के माध्यम से होगा ।
2. निबन्धन / माइग्रेशन प्रमाणपत्र / विलम्ब शुल्क (निबन्धन) केवल **ONLINE PAYMENT** के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा ।
3. आवेदक का फोटोग्राफ आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि से छः माह के अन्दर का होना चाहिए एवं फोटो पर आवेदक का नाम अंकित होना चाहिए ।
4. निबन्धन/माइग्रेशन प्रमाणपत्र आवेदन परिषद् कार्यालय में दिन मंगलवार तथा शनिवार को ही जमा होंगे ।
5. निबन्धन आवेदन के साथ संलग्न अभिप्रमाणित प्रपत्रों की वैधता तीन माह तक ही मानी जाएगी ।
6. निबन्धन नवीनीकरण प्रमाण पत्र हेतु शुल्क विवरणी:
 - **For Renewal of Registration -Rs. 500/-**
- 7- झारखण्ड से बाहर के संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों के निबन्धन हेत अनिवार्य दिशा-निर्देश:
 - सम्बंधित राज्य के पारामेडिकल परिषद् से निर्गत निबन्धन प्रमाणपत्र
 - **No Objection Certificate** प्रमाणपत्र (सम्बंधित राज्य सरकार/पारामेडिकल परिषद्)
8. आवेदक निबन्धन-आवेदन प्रपत्र जमा करने से पूर्व उपरोक्त निर्देशों को स्पष्ट रूप से समझलें। अपूर्ण/अधूरा/निबन्धन नियमों के विरुद्ध प्राप्त निबन्धन आवेदन अस्वीकृत माना जाएगा ।